

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

प.1(1)आयो.-1/सां./2014 पार्ट I

जयपुर, दिनांक:

11 SEP 2016

संशोधित आज्ञा

इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.1(1) आयो.-1/सां./2014 पार्ट I दिनांक 24.06.2016 में श्री ओम प्रकाश मांझू को वर्ष 2011-12 के स्थान पर वर्ष 2009-10 में उप निदेशक (सां.) से संयुक्त निदेशक (सां.) के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा की जाती है, में से " अनुशंसा " शब्द को विलोपित किया जाता है। इस आज्ञा से संबंधित पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

" वर्ष 2009-10

इस विभाग की आज्ञा क्रमांक:प.1(1) आयो.-1/सां./2014 दिनांक 08.02.2016 के द्वारा श्री भंवर लाल बैरवा की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 अन्तर्गत विचाराधीन कार्यवाही पर निर्णय होने तक लिफाफा सील कवर किया गया था।

श्री बैरवा की एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण श्री भंवरलाल बैरवा के स्थान पर श्री ओम प्रकाश मांझू को वर्ष 2011-12 के स्थान पर वर्ष 2009-10 में संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की जाती है। वर्ष 2009-10 में श्री मांझू को नाम श्री देशराज मीणा के नीचे रहेगा। वर्ष 2009-10 की शेष पदोन्नतियाँ यथावत रहेंगी। वर्ष 2009-10 की सूची में से श्री भंवरलाल बैरवा का नाम विलोपित किया जाता है। "

आज्ञा से


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (एन.के.), मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय।
5. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. संबंधित कार्यालय।
7. संबंधित अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव